अंकेक्षण व निरीक्षण रिपोर्ट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सोलन (प्रातःकालीन) जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

अवधि 4/91 से 3/94

भाग-प्रथम

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-
(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83

1.	पैरा नं0	3 बी	शेष
2.	पैरा नं0	6(5) व (7)	समाप्त।
3.	पैरा नं0	6(6)	शेष
4.	पैरा नं0	6(8)(9)(10)(12)	शेष
5.	पैरा नं0	6(14)	शेष
6.	पैरा नं0	6(15)(ए).सी.डी.ई.	शेष
7.	पैरा नं0	6(16)	शेष
8.	पैरा नं0	6(18)	शेष
9.	पैरा नं0	6(20)	शेष
10.	पैरा नं0	6(21)	शेष
11.	पैरा नं0	6(23)	शेष
12.	पैरा नं0	6(24)(25)(26)	शेष
13.	पैरा नं0	6(27) व (28)	शेष
14.	पैरा नं0	6(29)	शेष
15.	पैरा नं0	6(30)	शेष
16.	पैरा नं0	6(32)(34)(36)	शेष
17.	पैरा नं0	6(38)	शेष
18.	पैरा नं0	6(39)	शेष
19.	पैरा नं0	6(40)	शेष
20.	पैरा नं0	7(ए)और (बी)	शेष
21.	पैरा नं0	9(ए)	शेष
22.	पैरा नं0	9(बी)	शेष
23.	पैरा नं0	9(सी)	शेष
24.	पैरा नं0	9(डी)	शेष

लगातार पृष्ठ 2 पर.......

— 258 —

25. पैरा नं0	9(ई)	शेष
26. पैरा नं0	11(बी)	शेष
27. पैरा नं0	12	शेष
28 पैरा नं0	13	शेष
29. पैरा नं0	14(ए)	शेष
30. पैरा नं0	14(बी)	शेष
31 पैरा नं0	16(ए)	शेष
32. पैरा नं0	16(सी), 16(डी)	शेष
33. पैरा नं0	16(ई)	शेष
34. पैरा नं0	16(जे)	शेष
35. पैरा नं0	16(के)	शेष
36. पैरा नं0	16	शेष
37. पैरा नं0	20	शेष
38. पैरा नं0	21	शेष

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85

1. पैरा नं0	5	समाप्त
2. पैरा नं0	6	शेष
3. पैरा नं0	7	शेष
4. पैरा नं0	8	शेष
5. पैरा नं0	9	शेष
6. पैरा नं0	10	शेष
7. पैरा नं0	11	शेष
8. पैरा नं0	12	शेष
9. पैरा नं0	13	शेष
10. पैरा नं0	14(ए)	समाप्त
11. पैरा नं0	14(बी)	शेष
12. पैरा नं0	14(सी)	शेष
13. पैरा नं0	14(डी)	शेष
14. पैरा नं0	14(ई)	शेष
15. पैरा नं0	14(एफ)	शेष
16. पैरा नं0	14(जी)	शेष
17. पैरा नं0	14(एच)	समाप्त ।

लगातार पृष्ठ 3 पर......

:= 3 =:

18. पैरा नं0	~~14(आई)~~ 14(आई)	समाप्त ।
19. पैरा नं0	15(ए)	शेष
20. पैरा नं0	15(बी)	शेष
21. पैरा नं0	15(सी)	शेष
22. पैरा नं0	15(डी)	शेष
23. पैरा नं0	15(ई)	शेष
24. पैरा नं0	15(एफ)	शेष
25. पैरा नं0	16(ए)व(बी)	शेष
26. पैरा नं0	17	शेष
27. पैरा नं0	18	शेष

ग) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/88</u>

1. पैरा नं0	3	शेष
2. पैरा नं0	4	शेष
3. पैरा नं0	5(बी)(1)	शेष
4. पैरा नं0	5(सी)	समाप्त
5. "	5(डी)(1)	शेष
6. "	5(एफ)(1)	समाप्त
7. "	5(एच)	शेष
8. "	5(जे)(1) से (5)	शेष
9. "	5(के)	शेष
10. पैरा नं0	5(एल)	शेष
11. पैरा नं0	5(एम)	शेष
12. पैरा नं0	5(ओ)	शेष
13. पैरा नं0	5(पी)	शेष
14. पैरा नं0	5(क्यू)	शेष
15. पैरा नं0	5(आर)1 से 4	शेष
16. "	5(एस)	शेष
17. "	5(यू)	शेष
18. "	5(वी)	शेष
19. "	5(डब्ल्यू)	शेष
20. "	5(वाई)	शेष
21. "	6(बी)	शेष

लगातार पृष्ठ 4 पर......

—260—

22.	पैरा नं०	6(सी)	शेष
23.	"	6(डी)	समाप्त
24.	"	7(ए)	शेष
25.	"	7(बी)	पैरा 7(बी) के अन्तर्गत केवल मद संख्या (1) से (3) समाप्त ।
26.	"	8(ए)	शेष
27.	"	8(बी)	शेष
28.	"	9(ए)(1) और (2)	शेष
29.	"	9(बी)	शेष
30.	"	9(सी)	शेष
31.	"	9(डी)	शेष
32.	"	9(ई)	समाप्त
33.	"	9(एफ)	समाप्त
34.	"	10(बी)	शेष
35.	"	10(सी)	शेष
36.	"	10(डी)	शेष
37.	"	10(ई)	शेष
38.	"	10(एच)	पैरा 10 (एच) के अन्तर्गत केवल मद संख्या (2) व (3) समाप्त ।
39.	"	11(ए) व (बी)	शेष
40.	"	11(सी)	शेष
41.	पैरा नं०	11(डी)	केवल पैरा 11(डी)(2) समाप्त
42.	"	11(ई)	शेष
43.	"	11(जी)	शेष
44.	"	12(2)(2)	शेष
45.	"	12(2)(3)	शेष
46.	"	12(2)(5)	शेष
47.	"	12(2)(7)	शेष
48.	"	12(2)(8)	शेष
49.	"	12(2)(9)	शेष
50.	"	12(2)(10)	शेष
51.	"	12(बी)(2)	शेष

लगातार पृष्ठ 5 पर.....

52. पैरा नं0	12(बी)(3)	शेष
53. पैरा नं0	12(सी)(1)(2)	शेष
54. "	12(डी)	शेष
55. "	13(ए)	शेष
56. "	13(बी)	शेष
57. "	14(ए)	शेष
58. "	14(बी)	शेष
59. "	14(सी)	शेष
60. "	14(डी)	शेष
61. "	14(ई)	शेष
62. "	14(एफ)	शेष
63. "	15(ए)	शेष
64. "	15(बी)	शेष

(घ) <u>आपत्ति विवरणिका अवधि 4/76 से 3/83:-</u>

आईटम सं0 1 से 9 तक अनिर्णीत रही ।

(ड.) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/68 से 3/91</u>

1. पैरा नं0	5(क)	समाप्त
2. "	5(ख)	समाप्त
3. "	5(ग)	समाप्त
4. "	5(घ)	शेष
5. "	6(क)	शेष
6. "	6(ख)	समाप्त
7. "	6(ग)	समाप्त
8. "	6(घ)	शेष
9. "	6(ड.)	शेष
10. "	6(च)	~~शेष~~/ समाप्त
11. "	6(छ)	शेष
12. "	6(ज)	समाप्त
13. "	7(क)	शेष
14. "	7(ख)	शेष
15. "	8(क)	शेष

लगातार पृष्ठ 6 पर.......

:= 6 =:

— 262 —

16. पैरा नं0	8(ख)	समाप्त
17. "	8(ग)	शेष
18. "	8(घ)	शेष
19. "	8(ङ.)(1)	शेष
20. "	8(ङ.)(2)	शेष
21. "	8(ङ.)(3)	समाप्त
22. "	8(ङ.)(4)	समाप्त
23. "	9(क)	समाप्त
24. "	9(ख)	समाप्त
25. "	9(ग)	समाप्त
26. "	9(घ)	समाप्त
27. "	9(ङ.)	समाप्त
28. "	9(च)	शेष
29. "	9(छ)	समाप्त
30. "	9(ज)	समाप्त
31. "	9(झ)(1)	समाप्त
32. "	9(झ)(2)	समाप्त
33. "	9(झ)(3)	समाप्त
34. "	9(झ)(4)	समाप्त
35. "	9(झ)(5)	समाप्त
36. "	9(झ)(6)	समाप्त
37. "	9(झ)(7)	समाप्त
38. "	9(ञ)	आंशिक रूप से समाप्त अब, केवल मदन गोपाल को दिया गया मु0 75/=रुपये का अग्रिम असमायोजित पड़ा है।
39. "	9(ट)	शेष
40. "	9(ठ)(1)	समाप्त
41. "	9(ठ)(2)	शेष
42. "	9(ड)	शेष
43. "	10(क)	शेष
44 "	10(ख)	शेष
45. "	10(ग)	शेष समाप्त
46. "	10(घ)	समाप्त

लगातार पृष्ठ 7 पर.......

— 272 —

[illegible] 30/09 [illegible] 103003 10/= [illegible] 10/=

— 263 —

47. पैरा नं0	10(ङ)	समाप्त
48. "	10(च)	समाप्त
49. "	10(छ)	शेष
50. "	10(ज)	समाप्त
51. "	10(झ)	शेष
52. "	10(ञ)	समाप्त
53. "	10(ट)	समाप्त
54. "	10(ठ)	शेष
55. "	10(ड)	समाप्त
56. "	10(ढ)	शेष
57. "	10(ण)	समाप्त
58. "	10(त)(1)(से)(8)	मद संख्या 1 से 7 तक समाप्त तथा अब मद संख्या 8 शेष रह गई है ।
59. "	10(थ)	शेष
60. "	10(द)	शेष
61. "	11(क)	शेष
62. "	11(ख)	समाप्त
63. "	11(ग)	शेष
64. "	11(घ)	पैरा 11(घ) के नीचे केवल मद संख्या 1 से 4 तक समाप्त ।
65. "	11(ङ)	~~समाप्त~~ शेष
66. "	11(च)	समाप्त
67. "	12(क)	शेष
68. "	12(ख)	शेष
69. "	12(ग)	शेष
70. "	12(घ)	शेष
71. "	12(ङ)	शेष
72. "	12(च)	शेष
73. "	12(छ)	शेष
74. "	12(ज)	शेष
75. "	12(झ)	समाप्त
76. "	12(ञ)	शेष

लगातार पृष्ठ 8 पर.......

77. पैरा नं0	12\{ट\}	शेष
78. पैरा नं0	12\{ठ\}	शेष
79. "	12\{ड\}	शेष पैरा 12\{ड\} के अन्तर्गत केवल मद संख्या 3 समाप्त की गई
80. "	13\{क\}	शेष
81. "	13\{ख\}	शेष
82. "	14\{क\}	शेष
83. "	15\{ख\}	शेष
84. "	15\{ग\}	शेष
85. "	15\{घ\}	शेष
86. "	16\{क\}	शेष
87. "	16\{ख\}	शेष
88. "	16\{ग\}	शेष
89. "	16\{घ\}	समाप्त
90 "	16\{ङ\}	शेष
91. "	16\{च\}	शेष
92. "	16\{छ\}	शेष
93. "	16\{ज\}\{1\}से\{3\}	शेष

2. <u>वर्तमान अंकेक्षण :-</u>

राजकीय महाविद्यालय के लेखाओं का लेखा परीक्षण श्री आर.वी.सूद सहायक नियन्त्रक द्वारा ?.?.84 से 22.9.94 तक किया गया । विस्तृत जांच हेतु मास 7/91, 3/92, 9/92, 10/92,7/93 तथा 3/94 के लेखाओं का चयन किया गया ।

3. <u>अंकेक्षण शुल्क:-</u>

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ~~लेखाओं/के~~ अवधि 4/91 से 3/94 तक के लेखाओं के लेखा परीक्षण के लिए अंकेक्षण शुल्क मु0 2330/=रुपये बना जिसका विवरण निम्न प्रकार से है । प्रधानाचार्य महाविद्यालय से पत्र संख्या 13 दिनांक 24.9.94 द्वारा अनुरोध किया गया कि अंकेक्षण शुल्क को सरकारी कोष में शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें 60-अन्य सेवायें -110 सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क \{हि0 प्र0\} में जमा करवायें ।

लगातार पृष्ठ 9 पर...........

-265-

अमलगामेटिड फण्ड	300.00
भवन निधि फण्ड	105.00
चिकित्सा फण्ड	105.00
हाऊस परीक्षा फण्ड	105.00
मैगजीन फण्ड	105.00
पहचान पत्र फण्ड	105.00
रैड क्रास फण्ड	105.00
एन.सी.सी. फण्ड	105.00
फिजिक्स फण्ड	105.00
केमिस्ट्री फण्ड	105.00
बोटनी फण्ड	105.00
जोलोजी फण्ड	105.00
अनुपस्थिति दण्ड फण्ड	105.00
शिल्पकला फण्ड	105.00
पुस्तकालय फण्ड	105.00
होस्टल मेनटैनेंस फण्ड	105.00
होस्टल चिकित्सा तथा कामन रूम फण्ड -	105.00
होस्टल बिजली तथा पानी फण्ड	105.00
होस्टल बर्तन फण्ड	105.00
छात्र सहायता निधि 40/-प्रतिदिन	120.00
सांस्कृतिक फण्ड (1992-93 तथा 1993-94) के लिए	70.00
	2380.00

अंकेक्षण शुल्क कुल 2380/=रुपये को सरकारी खजाने में चालान संख्या 18 दिनांक 27.9.94 तथा चालान संख्या 20 दिनांक 28.9.94 (420+1960) द्वारा जमा करवा दिया गया तथा मूल चालान को अंकेक्षण के दौरान सत्यापित किया गया ।

लगातार पृष्ठ 10 पर.......

अनिल 30/09 [illegible] 103003 10/= [illegible] 10/=

4. <u>वित्तीय स्थिति:-</u>

क) इस महाविद्यालय के 4/91 से 3/94 तक विभिन्न निधियों की रोकड़ वही में आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

छात्र विकास निधि :-

वर्ष	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	179903.80	257107.05	198229.00
प्राप्तियां	79291.45	136816.55	149697.00
योग	259195.25	393923.60	347926.00
व्यय	2088.20	195694.60	177871.00
अन्त शेष	257107.05	198229.00	170055.00

<u>मैगजीन फण्ड</u>

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	33516.85	40215.35	52214.00
प्राप्तियां	21668.50	25963.65	31054.00
योग	55185.35	66179.00	83268.00
व्यय	14970.00	13965.00	26394.00
अन्त शेष	40215.35	52214.00	56874.00

<u>पहचान पत्र फण्ड</u>

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	4110.15	5580.25	7483.00
प्राप्तियां	7545.10	10122.75	12218.00
योग	11655.25	15703.00	19701.00
व्यय	6075.00	8220.00	11977.00
अन्त शेष	5580.25	7483.00	7724.00

<u>हाउस परीक्षा फण्ड</u>

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	33112.85	39541.85	49657.00
प्राप्तियां	13044.50	18643.15	21353.00 (पृ05 पत्र 10)
योग	46157.35	58185.00	71010.00
व्यय	6615.50	8528.00	32342.00
अन्त शेष	39541.85	49657.00	38668.00

लगातार पृष्ठ 11 पर.....

:= ।। =:

हि0 प्र0 विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	58135.50	71303.85	95390.50
प्राप्तियां	119320.35	141978.65	186274.50
योग	177455.85	213282.50	281665.00
व्यय	106152.00	117892.00	150513.00
अन्त शेष	71303.85	95390.50	131152.00

छात्र सहायता निधि

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	13011.95	16425.60	21513.00
प्राप्तियां	3913.65	5887.40	7286.00
योग	16925.60	22313.00	28799.00
व्यय	500.00	800.00	1937.00
अन्त शेष	16425.60	21513.00	26862.00

एन.सी.सी. फण्ड

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	19199.35	22016.80	28168.00
प्राप्तियां	3908.45	12436.20	12596.00
योग	23107.80	34453.00	40764.00
व्यय	1091.00	6285.00	1907.00
अन्त शेष	22016.80	28168.00	38857.00

पुस्तकालय प्रतिभूति फण्ड

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	62058.30	106172.90	135343.10
प्राप्तियां	72314.60	45217.20	54638.00
योग	135172.90	151390.10	189981.10
व्यय	29000.00	16047.00	17139.00
अन्त शेष	106172.90	135343.10	172842.10

रेडक्रास फण्ड

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	10051.15	10986.50	8625.00
प्राप्तियां	1864.35	1865.80	2360.00
योग	11915.50	12852.30	10985.00

लगातार 12 पर.....

268

व्यय	929.00	4227.30	4370.00
अन्त शेष	10986.50	8625.00	6615.00

साइंस फण्ड

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	55803.60	13988.00	7589.40
प्राप्तियां	94508.55	69088.75	121566.00
योग	150312.15	83076.75	129155.40
व्यय	136324.15	75487.35	89648.65
अन्तशेष	13988.00	7589.40	39506.75

चिकित्सा फण्ड

	1991-92	1992-93	1993-94
गत शेष	37148.95	45898.55	57889.00
प्राप्तियां	9062.85	12365.95	16066.00
योग	45811.80	58264.50	73955.00
व्यय	913.25	375.50	573.45
अन्तशेष	45898.55	57889.00	73381.55

सांस्कृतिक फण्ड :- यह फण्ड महाविद्यालय में हि0 प्र0 विश्वविद्यालय के के पत्र संख्या 5-70/92 एच.पी.यू (एकेड) दिनांक 17.6.92 के अनुसार 7/92 से रु0 10/=रुपये प्रतिवर्ष की दर से छात्रों से लिया जा रहा है।

	1992-93	1993-94
गत शेष	शून्य	15630.00
प्राप्तियां	15682.00	19658.00
योग	15682.00	35288.00
व्यय	52.00	2979.00
अन्तशेष	15630.00	32309.00

अमलगामेटिड फण्ड

	1991-92	1992-93	1993-94
गतशेष	727362.00	867417.10	1008689.70
प्राप्तियां	349030.35	476995.30	427742.15
योग	1076392.35	1344412.40	1436431.85

लगातार पृष्ठ 13 पर......

-269-

व्यय	208975.25	335722.70	406201.70
अन्तशेष।	867417.10	1008689.70	1030230.15

3. विभिन्न फण्डों से सावधिक खाता में मु0 10,75,000/=रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। जिसका विवरण यथा परिशिष्ट -क दिया गया है। यह पूंजी निवेश 31.3.94 की स्थिति दर्शाता है। परिपक्वता की तिथि पर परिपक्वता की राशि निकलवाना या पुनर्निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

4.(ग) दिनांक 31.3.94 को विभिन्न निधियों की रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष — रू0- पै0 1652234.45

जमा एन.सी.सी. निधि के अन्तर्गत मु0 251/=रुपये की राशि के चैक का भुगतान 31.3.94 के उपरान्त हुआ। — 251.00

1,652485.45

दिनांक 31.3.94 को विभिन्न निधियों की बैंक पास बुकों के अनुसार अन्त: शेष — 1670989.35

नोट:-इसमें चिकित्सा निधि के 50,000/=रू0 + भवन निधि के 1,25,000/=रुपये तथा मिश्रित निधि के अन्तर्गत 800000/= रुपये के सावधिक निक्षेप भी शामिल है।

इस प्रकार दिनांक 31.3.94 को रोकड़ बही तथा पासबुक के अन्तशेष में रू0 18503.90 रुपये का अन्तर था जोकि अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व चला आ रहा है जैसा कि वर्षों के दौरान सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा बताया गया था प्रधानाचार्य विश्वविद्यालय से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके उपरोक्त अन्तर का समाधान किया जाए।

5. अग्रिम धन:-

दिनांक 31.3.94 तक निम्नलिखित कर्मचारियों व अध्यापकों को उनके सामने लिखित राशियाँ छात्र निधि से अग्रिम धन के रूप में दी गई थी परन्तु इन राशियों का समायोजन उन द्वारा अभी तक नहीं किया गया था अत: अब शीघ्र इन अग्रिमों का समायोजन लेखा प्राप्त करके कालेज के लेखों में समायोजित किया जाए या फिर दोषी व्यक्तियों से मूल राशि वापिस जमा करवाई जाए तथा अनुपयुक्त लेखा को अब अनाधिकृत रूप से हस्तगत रखने हेतु कार्यवाही की जाए। अग्रिम धन रजिस्टर में प्रतिवर्ष 31 मार्च को असमायोजित अग्रिमों को अंकित करने के उपरान्त नव वर्ष के अग्रिम धन राशियों का विधि अनुसार दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाएं तथा अनुपालना आगामी

लगातार पृष्ठ 14 पर......

— 272 —

अनिल	30/92	एम०-II	103003	10/=	शून्य	10/=

— 270 —

पड़ताल के समय दिखाई जाए ।

प्राध्यापक/कर्मचारी का नाम	फण्ड का नाम जिसमें से अग्रिम दिया गया	वाउचर सं0 व दिनांक	राशि रु0	टिप्पणी
शशि सहगल, प्राध्यापक	साईंस फण्ड	22/1.10.92	200/=	पक्चर स्टैंड के लिए रंग खरीदने हेतु ।
इन्द्र सिंह, लैब अटैन्डैंट	"	41/17.3.94	500/=	साइंस सामग्री के क्रय हेतु ।
राम स्वरूप लैब अटैन्डैंट	"	9/10.4.91	50/=	मैथनोल के लिए
"	"	10/10.4.91	100/=	पैट्रोलियम के क्रय हेतु
"	"	51/31.10.91	100/=	कारटनवूल के क्रय हेतु
"	"	35/12.3.93	200/=	बायोलाजी की वस्तुओं के क्रय हेतु ।
श्री जगत राम लिपिक	भवन निधि	11/2.11.93/ 4.11.93	1500/= 500/=	जी.आई. पाईप के क्रय हेतु ।
श्री राम स्वरूप एल.ए.	साईंसफण्ड	19/15.9.93	100/=	ओडोनिल के क्रय हेतु ।

6. हाऊस परीक्षा फण्ड की कम वसूली

निदेशक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या शिक्षा-एच(8) 3/7/11/76-5 दिनांक 25.6.91 के अनुसार जमा -1 व जमा 2 के विद्यार्थियों से परीक्षा फण्ड रु0 20/=रुपये प्रतिवर्ष की दर से वसूली की जानी अनिवार्य थी जबकि अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान उक्त कक्षाओं के विद्यार्थियों से 10/=रुपये प्रतिवर्ष की दर से वसूली की गई थी । इस प्रकार 10/=रुपये प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी से कुल 7120/=रुपये की कम वसूली की गई । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति लेकर कम वसूली को बट्टे खाते डालने की अनुमति आगामी अंकेक्षण पर दिखाऐं ।

वर्ष	कक्षा	वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की सं0	परीक्षाशुल्क वसूली योग्य रुपये	परीक्षाशुल्क वसूली किया रुपये	कम वसूली रुपये
1991-92	+1	115	2300/=	1150/=	1150/=
	+2	102	2040/=	1020/=	1020/=
1992-93	+1	128	2560/=	1280/=	1280/=
	+2	62	1240/=	620/=	620/=
1993-94	+1	179	3580/=	1790/=	1790/=
	+2	126	2520/=	1260/=	1260/=
			कुल कम वसूली		7120/=

लगातार पृ0 15 पर.....

— 272 —

अनिल	30/92	एम्ए-II	103003	10/=	शून्य	10/=

— 271 —

7. **सांस्कृतिक फण्ड की कम वसूली**

उप पंजीयक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अकेडमिक शाखा के पत्र संख्या 5-70/92-एच पी यु (एकेड) दिनांक 17.6.1992 के अनुसार 10/रुपये प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उपरोक्त फण्ड के अन्तर्गत वसूली की जानी अपेक्षित थी लेकिन जांचने पर पाया गया कि वर्ष 1993-94 के दौरान सांस्कृतिक फण्ड निम्न विद्यार्थियों से कम वसूल किया गया । इस प्रकार सांस्कृतिक फण्ड के मु0 360/=रुपये कम वसूल किए गए थे कि सम्बन्धित विद्यार्थियों से वसूल किए जाएं अथवा दोषी व्यक्ति से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के सम्मुख प्रस्तुत करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत करवाएं ।

विद्यार्थी का नाम	रोलनं0	कक्षा	रसीद सं0	सांस्कृतिक फण्ड वसूली योग्य	वसूली रू0	कम वसूली रू0
श्री इन्द्रजीत	15/एम	एम्ए.-II	206965	10/=	शून्य	10/=
मिस सुमन	16/एम	"	206966	10/=	"	10/=
श्री शिव कुमार	10/एम	"	206970	10/=	"	10/=
मिस रंजना	18/एम	"	206972	10/=	"	10/=
श्री नरेन्द्र कुमार	11/एम	"	073154	10/=	"	10/=
मोनिका	40/92	"	75857	10/=	"	10/=
नीना	34/92	"	75905	10/=	" 10	10/=
संगीता	32/92	"	75906	10/=	"	10/=
शीतल	26/92	"	75914	10/=	"	10/=
मंजरी	28/92	"	75915	10/=	"	10/=
चेतन	37/92	"	75917	10/=	"	10/=
विनिता	46/92	"	75913	10/=	"	10/=
निशा	29/92	"	75919	10/=	"	10/=
विनिता	45/92	"	75920	10/=	"	10/=
निधि	39/92	"	75927	10/=	"	10/=
जैसिंह	25/92	"	75928	10/=	" 10	10/=
ममता	42/92	"	75953	10/=	"	10/=
सलोमी	38/92	"	75954	10/=	"	10/=
भूपेन्द्र	4-/92	"	103002	10/=	"	10/=

— 272 —

अनिल	30/92	एम.ए-II	103003	10/=	शून्य	10/=
योगिता	67/93	एम.ए.-I	103015	10/=	"	10/=
रमला	60/93	एम.ए.-I	103016	10/=	"	10/=
प्रिया	69/73	"	103017	10/=	"	10/=
निशा	31/92	एम.ए.-II	103020	10/=	"	10/=
अजय	35/92	"	103026	10/=	"	10/=
इन्द्रा	70/93	एम.ए.-I	103039	10/=	"	10/=
सुनील गुप्ता	51/93	"	075754	10/=	"	10/=
दीपक शर्मा	53/93	"	075755	10/=	"	10/=
मंजूला भण्डारी	54/93	"	075756	10/=	"	10/=
राकेश कौशल	55/93	"	075757	10/=	"	10/-
नीटू शर्मा	52/93	"	075758	10/=	"	10/=
पवन कुमार	56/93	"	075759	10/=	"	10/=
कुमद गुप्ता	58/93	"	075760	10/=	"	10/=
धर्मेन्द्र कुमार	59/93	"	075761	10/=	"	10/=
अमर सिंह	60/93	"	075762	10/=	"	10/=
मीनू कुमारी	61/93	"	075767	10/=	"	10/=

कुल कम वसूली 360/=

8. होस्टल सीट रैन्ट की कम वसूली

अंकेक्षण के दौरान जांचने पर पाया गया कि वर्ष 1991-92 ,1992-93 1993-94 के दौरान होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से कमरे का किराया प्रोस्पैक्टस के अनुसार 3/=रुपये प्रतिमास की दर से लिया गया था जबकि हि0 प्र0 ऐजुकेशन कोड 1985 के अध्याय-III के अन्तर्गत (जिसमें होस्टल सीट रैन्ट की दरें निश्चित की गई थी) के अनुसार कक्षा टी.डी.सी. पार्ट-I और टी.डी.सी.पार्ट-II व III के विद्यार्थियों से 10/=रुपये और 12/=रुपये क्रमशः प्रतिमास की दर से कमरे के किराये की वसूली की जानी अपेक्षित थी । इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा रु0 27420/= रुपये की कम वसूली की गई थी । जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है । होस्टल कमरों के किरायें की कम वसूली का कारण/ औचित्य स्पष्ट करें तथा स- न्धित विद्यार्थियों से वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तथा

लगातार पृष्ठ 17 पर.....

वसूली का विवरण इस विभाग को भी यथाशीघ्र प्रेषित करें । भविष्य में होस्टल सीट रैन्ट की वसूली सरकार द्वारा निश्चित दरों के आधार पर सुनिश्चित करें ।

वर्ष	कक्षा	होस्टल में रहने वाले विद्या० की संख्या	होस्टल सीट रैन्ट देय	होस्टल सीट रैन्ट जो वसूल किया गया	प्रति विद्यार्थी कम वसूली	वर्ष के दौरान कुल कम वसूली
-92	+1 से टी.डी.सी.पार्ट-I तक	53	120/=(10रू0 प्रतिमास)	36/=	84.00	4452.00
	टी.डी.सी.पार्ट-II व पार्ट-III	50	144.00 (12/-रू0 प्रतिमास)	36.00	108.00	5400.00
2-93	+1 से टी.डी.सी. पार्ट -I तक	49	120.00 (10/=प्रतिमास	36.00)	84.00	4116.00
	टी.डी.सी.पार्ट-II व पार्ट-III	45	144.00(12/-प्रतिमास)	36.00	108.00	4860.00
93-94	+1 से टी डी सी पार्ट -I तक	47	120.00 (10/-प्रतिमास)	36.00	84.00	3948.00
	टी.डी.सी पार्ट -II व पार्ट-III	43	144/= (12/प्रतिमास)	~~128/00~~ 36.00	108.00	4644.00
					कुल कम वसूली	27420.00

9. कक्षा-1 और कक्षा-2 के विद्यार्थियों से फण्डों की वसूली बारे

निदेशक, शिक्षा विभाग हि0 प्र0 के पत्र संख्या शिक्षा-एच(8) 3/7/11/76-5 दिनांक 25.6.91 के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा दो के विद्यार्थियों से इस आदेश के पृष्ठ संख्या 14 से 17 तक वर्णित फण्डों के अन्तर्गत किसी प्रकार की वसूली की जानी अपेक्षित नहीं थी । लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उक्त कक्षा के विद्यार्थियों से भी स्नातक कक्षा तक के अन्य विद्यार्थियों के समान निम्न फण्डों की वसूली की गई थी जो कि निर्धारित दरों की सरासर अवहेलना थी ।

फण्ड का नाम	जिस दर से वसूली की जानी चाहिए थी	जिस दर से वसूली की गई ।
यूनिवर्सिटी कन्टीन्युएशन फीस	शून्य	2.00 प्रतिवर्ष
यूथ वेलफेयर फीस	शून्य	4.00 प्रतिवर्ष
यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फीस	शून्य	4.00 प्रतिवर्ष
कॉलिज होम फीस	शून्य	0.50पै0 प्रतिवर्ष

लगातार पृष्ठ 18 पर....

इस प्रकार महाविद्यालय द्वारा जमा 1 व जमा-2 के विद्यार्थियों से वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 के दौरान निम्न विवरणी के अनुसार अनियमित तौर पर वसूली की गई थी तथा उसको समय-2 पर हि0 प्र0 विश्वविद्यालय को भेजा गया था। अनियमित तौर पर की गई वसूली तथा उसको हि0 प्र0 विश्वविद्यालय को भेजने का औचित्य स्पष्ट करें और हि0 प्र0 विश्वविद्यालय को भेजी गई रु0 6642-50 रुपये की राशि को सम्बन्धित छात्र निधियों में जमा करवाया जाए तथा इस आशय की सूचना इस विभाग को प्रेषित की जाए।

क्र0 सं0	वर्ष	फण्ड का नाम जिसकी वसूली अनियमित तौर पर की गई थी।	अनियमित वसूली की दरें	कक्षा	विद्यार्थी की सं0	कुल राशि जिसकी अनियमित तौर पर वसूली की गई थी।
1.	1991-92	कन्टीन्युएशन शुल्क	2/=रु0 प्रतिवर्ष	+2	103	206.00
	1992-93	"	2/=रु0 "	+2	62	124.00
	1993-94	"	2/=रु0 "	+2	126	252.00
2.	1991-92	यूथ वैलफेयर फण्ड	4/=रु0 प्रतिवर्ष	+1 और +2 के विद्यार्थी	218	872.00
	1992-93	"	"	यथोपरि	190	760.00
	1993-94	"	"	यथोपरि	305	1220.00
3.	1991-92	हि0प्र0 विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स फण्ड	4/=रु0 प्रतिवर्ष	यथोपरि	218	872.00
	1992-93	"	"	यथोपरि	190	760.00
	1993-94	"	"	यथोपरि	305	1220.00
4.	1991-92	हि0 प्र0 विश्वविद्यालय होलीडेहोम फण्ड	0.50पैसे प्रतिवर्ष	"	218	109.00
	1992-93	"	"	"	190	95.00
	1993-94	"	"	"	305	152.00
					कुल राशि	6642.50

10. भवन निधि:-

क8 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित राशियां भवन निधि में से भिन्न-2 कार्यों के लिये हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग में जमा करवाई गई थी और चर्चा के दौरान यह बताया गया कि जिस उद्देश्य

लगातार पृष्ठ 19 पर........

-275-

हेतु यह राशियां जमा करवाई गईं थी उन समस्त कार्यों का समापन हो चुका था परन्तु अब तक उन राशियों से किए गए कार्य का वर्णन तथा उन राशियों का उपयोगिताप्रमाणपत्र राजकीय महाविद्यालय ,सोलन के अभिलेख में न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: प्राधानाचार्य, महाविद्यालय सोलन हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग से वांछनीय पूर्णता प्रमाण पत्र /रिपोर्ट प्राप्त करके अगले अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें ।

वाउचर सं0	राशि जमा करवाए जाने की तिथि	राशि	विवरण जिस प्रयोजन हेतु राशि दीगई
1.	28.4.92	4625.00	कार्यकारी अभियन्ता,हि0 प्र0 लो0नि0 वि0,सोलन गैरेज की मरम्मत हेतु ।
3.	12.5.92	8720.00	कार्यकारी अभियन्ता,हि0प्र0लो0नि0वि0 सोलन बाबत कालेज में शटरज लगाने हेतु
8.	17.8.92	48420.00	कार्यकारी अभियन्ता हि0प्र0लो. नि. वि. सोलन,पानी के लिए लोहे के टैंक बनवाने हेतु ।
9.	1.9.92	9880.00	कार्यकारी अभियन्ता,हि0प्र0 लो. नि. वि सोलन,कालेज के मुख्य द्वार के निर्माण हेतु ।
12.	26.11.92	22060.00	कार्यकारी अभियन्ता,हि0प्र0लोनिवि सोलन,बाबत रंग रोगन भौतिकी तथा रसायन लैब्राटरी ।
13.	27.11.92	8720.00	यथोपरि,बाबत कालेज में बाउन्ड्री की दिवारों के निर्माण हेतु ।
15.	1.1.93	86000.00	उपायुक्त,सोलन को 50:50 ग्राम भी अपना काम भी अपना योजना के अन्तर्गत कालेज में रिटेनिंग दीवार के निर्माण हेतु ।
16.	5.7.93	100000.00	यथोपरि,वरिष्ठ छात्रों की रसायन लैब में मेजों के निर्माण हेतु 50:50 योजना के अन्तर्गत ।
12.	12.11.93	50,000.00	यथोपरि,कनिष्ठ छात्रों की रसायन लैब में मेजों के निर्माण हेतु ।

लगातार पृष्ठ 20 पर... ....

— 226 —

ख) बिल्डिंग फंड नियम 1990 के नियम 8(1)(ग) के अनुसार महाविद्यालयों के लिए विकास एवं सलाहकार समिति का गठन किया जाना आपेक्षित है तथा उक्त नियमों के नियम 8(7) के नीचे दिए गए नोट के अनुसार भवन विकास निधि में से समस्त व्यय इसी विकास एवं सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर किया जाएगा लेकिन अंकेक्षण के दौरान उक्त समिति के गठन का ब्यौरा व इस द्वारा निम्न व्यय का अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

अधिकारी का नाम	निर्धारित सीमा व्यय के लिए रु0
प्रधानाचार्य, कालेज	25.000.00
निदेशक, शिक्षा विभाग	1,00,000.00
सचिव (शिक्षा)	पूर्ण अधिकार

भवन निधि विकास एवं सलाहकार समिति की मंजूरी

ग). लेकिन अंकेक्षण के दौरान पैरा संख्या 10(क) में वर्णित कार्यों के निर्माण हेतु राशि का भुगतान करने से पूर्व विकास एवं सलाहकार समिति की सिफारिशों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के समय गठित समिति की संरचना सहित प्रस्तुत किया जाए । भविष्य में इस निधि से कोई भी व्यय उक्त समिति की पूर्व सहमति के बगैर न किया जाए ।

घ) इसी प्रकार भवन विकास निधि में से 25000/=रुपये की सीमा से अधिक के निर्माण कार्य पर खर्च की गई राशि के भुगतान से पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग की संस्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है लेकिन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है । प्रधानाचार्य, महाविद्यालय को परामर्श दिया जाता है कि अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान अपनी अधिकारिक सीमा से बाहर किए गए भुगतान के संबन्ध में निदेशक, शिक्षा विभाग की कार्योत्तर संस्वीकृति प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करें तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी सूचित करें । भविष्य में मु0 25000/= रुपये की राशि से अधिक व्यय को भुगतान करने से पूर्व निदेशक शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति सुनिश्चित की जाए ।

ड.) वाउचर संख्या 2 माह 7/93 राशि 1,00,000.00 रुपये

चैक सं0 705207 दिनांक 31.3.93/5.7.93 मु0 100000/=रुपये

लगातार पृष्ठ 21 पर........

-277-

का भुगतान उपायुक्त ,सोलन को महाविद्यालय के रसायन विभाग के लिए मेजों के निर्माण इत्यादि पर होने वाले व्यय हेतु "गांव भी अपना ,काम भी अपना" योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया था परन्तु इस भुगतान की प्राप्ती रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई । चर्चा के दौरान बताया गया कि इस राशि की रसीद उपायुक्त सोलन के कार्यालय से प्राप्त नहीं हुई है । भुगतान सम्बन्धी रसीद को शीघ्र उक्त कार्यालय से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

च॥ कामन पूल का अंशदान

1॥ विनियम-ग्रन्ट-इन-एड नियम 1990 के नियम 5 के अनुसार महाविद्यालय द्वारा वर्ष के दौरान भवन निधि के अन्तर्गत 10% की दर से कामन पूल का हिस्सा निदेशक शिक्षा विभाग को भेजना अनिवार्य था परन्तु महाविद्यालय ने वर्ष 1993-94 का कामन पूल अंशदान निदेशक , शिक्षा विभाग को प्रेषित नहीं किया था जिसे तुरन्त प्रेषित किया जाए तथा विवरण आगामी अंकेक्षण पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

2॥ वाउचर संख्या 3/93 दिनांक 19.7.93 राशि 23850/=रुपये

चैक नं0 705208 दिनांक 19.8.93 द्वारा मु0 23850/=रुपये की राशि कामन पूल अंशदान बावत अवधि वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 निदेशक शिक्षा विभाग प्रेषित गया था परन्तु उक्त अंशदान की प्राप्ति रसीद निदेशक शिक्षा से प्राप्त नहीं हुई थी जिसे अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

छ॥ वाउचर संख्या 11 दिनांक 28.10.92 राशि 201.60 रुपये

कालेज की सीढ़ियों तथा मुख्य द्वार को सफेदी करने के लिए निम्न मजदूरों को उनके सामने दर्शाई गई राशि का भुगतान किया गया था परन्तु जिन तिथियों को यह कार्य करवाया गया था उन तिथियों को इस कार्य हेतु कोई सामान इत्यादि की खरीद तथा जारी करने सम्बन्धी इन्द्राज कन्जयुमेबल स्टाक रजिस्टर में नहीं दर्शाया गया था । जिससे स्वयंमेव यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में कार्य करवाया नहीं गया था ।

मजदूर का नाम	जिन तिथियों कार्य किया गया	कुल दिन	मजदूरी की दर	राशि
श्री राम कुमार	5.10.92 व 6.10.92	2 दिन	42.40रु0प्रतिदिन	84.80
श्री भगत राम	" "	2 दिन	"	84.80

लगातार पृष्ठ 22 पर.......

– 278 –

श्री मुन्नीलाल	5.10.92	1 दिन	32/=रु0प्रतिदिन	पिछला: 169.60 32.00
				201.60

अतः अवैध रूप से खर्च की गई राशि की पूर्ति दोषी व्यक्ति से करके छात्र निधि में जमा की जाए तथा अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

ज) वाउचर संख्या 2 दिनांक 10.7.91 (राशि 707.10रुपये

कालेज भवन के लिए बिजली का सामान खरीदने तथा बिजली की मुरम्मत पर मु0 707.10रुपये की राशि का भुगतान मै0 ठाकुर ट्रेडर्ज को किया गया इस बिजली के सामान को कहां प्रयोग किया गया इसका विवरण स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था

बिल संख्या	दिनांक	मद	राशि
830	29.5.91	बिजली का सामान जिसका ब्योरा स्पष्ट नहीं था ।	427.10
856	5.6.91	"	60.00
860	6.691	"	20.00
		(फिक्सिंग तथा फिटिंग चार्जेज जिसकी रसीद बिल में नहीं दी गई थी)	200.00
			707.00

झ) रोकड़ बही भवन निधि :-

भवन निधि पास बुक में दिनांक 5.3.94 को मु0 1062/= रुपये बतौर ब्याज दिया गया था परन्तु रोकड़ बही में केवल 1052/=रुपये की राशि आय में दर्शाई गई थी । इस त्रुटि का सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाएं ।

ञ) अग्रिम राशि

श्रीमति शशि सहगल, लैक्चरर को बाईलोजी विभाग के म्यूजियम की खिड़की की मुरम्मत हेतु मैटल शीट खरीदने के लिए मु0 170/= रुपये अग्रिम राशि के रूप में दिए गए थे अग्रिम रजिस्टर में इस अग्रिम का समयोजन दर्शाया गया, था परन्तु इस समायोजन सम्बन्धी वाउचर इत्यादि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत करें ।

लगातार पृष्ठ 23 पर........

11. हि0 प्र0 विश्वविद्यालय परीक्षा फण्ड

क) वाउचर संख्या 3 दिनांक 21.4.93 राशि 109/=रुपये

महाविद्यालय में कार्यरत निम्न कर्मचारियों को जमा 1 परीक्षा के दौरान ड्यूटी देने के लिए मु0 109/=रुपये के पारिश्रमिक की अदायगी की गई जो कि फण्ड पर उचित प्रभार नहीं है चर्चा के दौरान बताया गया कि यह प्रथा वर्ष 1993-94 से शुरू हुई है क्योंकि जमा 1 परीक्षा का संचालन महाविद्यालय द्वारा स्वयं किया जाता है

कर्मचारी का नाम जिसे भुगतान किया गया	जितने सैशन कार्य किया गया	दर	राशि
श्री रविन्द्र ठाकुर	7	@ 12/=	84.00
श्री भगत सिंह	5	@ 5/=	25.00
			109.00

उपरोक्त भुगतान जिन मापदण्डों /दरों के आधार पर किया गया था उसका व्यौरा भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया । जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए तथा इस व्यय को निदेशक शिक्षा की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाएँ ।

ख) वाउचर संख्या 6 दिनांक 17.6.93 राशि 2725.50रुपये
वाउचर संख्या 8 दिनांक 21.9.93 राशि 478/=रुपये

वर्ष 1993-94 के दौरान जमा 1 परीक्षा का संचालन करने हेतु (जैसे पेपर सैटिंग ,पेपर मैकिंग परीक्षा के दौरान ड्यूटी आदि का कार्य) महाविद्यालय में कार्यरत विभिन्न प्राचार्यों तथा लिपिकीय वर्ग स्टाफ को मु0 2725.50रुपये तथा मु0 478/=रुपये की राशि पारिश्रमिक के रुप में अदा की गई परन्तु यह अदायगियां किन निर्धारित मापदण्डों तथा दरों के आधार पर की गई थी इसका व्यौरा आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाए तथा उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी प्राप्तकर्ता रसीद सम्बन्धित कर्मचारी से लेकर इसका सत्यापन अगले अंकेक्षण पर करवाया जाए । उपरोक्त पारिश्रमिक की अदायगी को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित कराया जाए ।

ग) वाउचर संख्या 13 दिनांक 29.3.93 राशि 244/=रुपये

मैं कुमार प्रिंटिंग प्रेस को परिणाम कार्ड छपवाने के लिए मु0 244/=रु0 के भुगतान का सत्यापन/पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका क्योंकि 0

लगातार पृष्ठ 24 पर..... ...

280

घ प्राप्तकर्ता रसीद तथा स्टाक रजिस्टर में परिणाम कार्डों का इन्द्राज अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के कुछ समय प्रस्तुत करें ।

घ) <u>रोकड़ वही विश्वविद्यालय परीक्षा फण्ड</u>

1) . वि0वि0 परीक्षा फण्ड की रोकड़ वही में दिनांक 31.3.94 को अन्तशेष मु0 13152/=रुपये था जबकि पासबुक में बकाया मु0 13241/= रुपये मु0 89/=रुपये के अन्तर को समयोजित किया जाए ।

2. दिनांक 31.10.91 को मु0 6435.00 की बजाए मु0 6435.50रुपये की आय रोकड़ वही में दर्शाई गई है । 0.50 पै0 अधिक आय दर्शाई गई आय की रोकड़ वही में ठीक करें ।

3) दिनांक 16.11.92 को मु0 733/=रुपये की बजाए मु0 773/=रुपये की राशि आय में दर्शाई गई है । इस प्रकार मु 0 40/=रुपये की अधिक दर्शाई गई आय की त्रुटि ठीक की जाए ।

4) दिनांक 13.4.93 को बैंक पासबुक में मु0 1/=रुपये का गलत क्रैडिट दिया गया है जिसे ठीक करवाया जाए ।

5) दिनांक 28.12.93 को मु0 90/=रुपये की राशि आय में नहीं ली गई है जिसे तुरन्त रोकड़ वही की आय में लिया जाए ।

12. <u>सांस्कृतिक फण्ड</u>

क) यह फण्ड महाविद्यालय द्वारा वर्ष 1992-93 से उप पंजीयक, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 5-70/92एच पी यू(एकैड) दिनांक 17.692 के अनुसरण में 10/=रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से लिया जा रहा है । इस निधि में से सांस्कृतिक गतिविधियों पर व्यय प्राधानाचार्य द्वारा गठित सलाहकार समिति को परामर्श से किया जाएगा । लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया था जिसे तुरन्त गठित किया जाए ।

ख) <u>वाउचर संख्या 1 दिनांक 6.12.93 राशि 2833/=रुपये</u>

अंकेक्षण के समय जांचने पर यह पाया गया कि सांस्कृतिक निधि में से मु0 2833/=रुपये की राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार महाविद्यालय के लिए कुर्सियों तथा मेजों की खरीद तथा स्टील अलमारी की मुरम्मत पर खर्च की गई जोकि इस फण्ड पर उचित प्रभार नहीं है उक्त राशि की

लगातार पृष्ठ 25 पर........

– 281 ·

पूर्ति उचित स्त्रोत से करके राशि छात्र निधि में जमा की जाए ।

फर्म का नाम	बिल सं0 दिनांक	मद का नाम	राशि
मै0 मयूर फर्नीशिंग्ज	5509, 5.11.93	3 मैटल की कुर्सियां	842.40 (सेलटैक्स सहित)
"	5510, 5.11.93	"	842.40 (सेलटैक्स सहित)
"	5508, 5.11.93	एक कार्यालय मेज	998.40 (सेल्सटैक्स सहित)
"	5511, 6.11.93	दो स्टील अलमारियों की मुरम्मत ।	150.00
			2833.20रुपये

उपरोक्त क्रय के सन्दर्भ में अनुमोदित दर संविदा की अधिकारिक प्रति अंकेक्षण के समय नहीं दिखाई गई जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उक्त खरीद उचित स्त्रोत तथा निर्धारित दर संविदा पर की गई थी । इसके अतिरिक्त इस मद की आपूर्ति हेतु सप्लाई आर्डर भी अभिलेख में उपलब्ध नहीं था ।

13. लाईब्रेरी प्रतिभूति

(क) लैपस्ड प्रतिभूति:-

निदेशक, शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या EDN-H (8)-3(7)-1/76-II दिनांक 28.1.77 के अन्तर्गत जारी स्पष्टीकरण के अनुसार छात्रों की लैपस्ड लाईब्रेरी प्रतिभूतियों की राशि अमलगामेटिड फण्ड में हस्तांतरित की जानी अनिवार्य है । परन्तु अवधि 4/91 से 3/94 तक की लैपस्ड लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि अभी तक अमलगामेटिड फण्ड को हस्तांतरित नहीं की गई थी । महाविद्यालय प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि लैपस्ड लाईब्रेरी प्रतिभूति राशि की समेकित सूची बना कर अमलगामेटिड फण्ड में जमा की जाए तथा अनुवर्तन रिपोर्ट आगामी अंकेक्षण पर दिखाएं । इसी प्रकार की व्यवस्था पिछले अंकेक्षण दौरान भी सुझाई गई थी लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रतीत होती है ।

(ख) रोकड़ वही लाईब्रेरी प्रतिभूति

1) दिनांक 22.9.92 को विनोद मोहन्ता बी.काम -I, रोल नं0

लगातार पृष्ठ 26 पर.......

लगातार पृष्ठ 27 पर..........

— 282 —

820 की चैक सं0 55423 [illegible] दिनांक 22.9.92 द्वारा मु0 80/=रुपये की प्रतिभूति राशि की अदायगी की गई है परन्तु रोकड़वही में केवल मु0 50/=रुपये का इन्द्राज किया गया है इस प्रकार मु0 30/=रुपये की कम दिखाई अदायगी को रोकड़ वही में ठीक किया जाए ।

2. दिनांक 7.4.93 को अन्तशेष 128412.40 के स्थान पर 128362.40 निकाला गया इस प्रकार अन्तशेष मे 50/=रुपये कम लिए गए जिसका ब्यौरा निम्न है ।

ओपनिंग बैलेंस	135342.40
आय	50.00
योग	135392.40
व्यय	6980.00
	128412.40

दिनांक 14.3.92 को ओपनिंग बैलेंस 106252.90 के स्थान पर 106252.20 रुपये दर्शाया गया था । 0.70 पैसे आय में कम दर्शाए गए थे । इस अन्तर को रोकड़ वही में ठीक किया जाए ।

3) दिनांक 31.3.94 को रोकड़ वही में अन्तशेष मु0 172842.10 जबकि पासबुक लाईब्रेरी जमानत में 173574/=रुपये था । इस प्रकार 731.90 के अन्तर को समायोजित किया जाए ।

4) दिनांक 8.8.93 को बैंक पासबुक खाता में मु0 10238/=रुपये बाबत ब्याज लगाये गए परन्तु इसे रोकड़ वही की आमदन में नहीं दर्शाया गया था इस राशि को रोकड़वही में लेकर त्रुटि का सुधार किया जाए ।

14. हाउस परीक्षा फण्ड

क) वाउचर संख्या 8 माह 3/94 राशि 250/=रुपये

मु0 250/=रुपये की राशि का भुगतान महाविद्यालय के कर्मचारियों को जमा। जमा-2 की हाउस परीक्षा में ड्यिुटी देने के एवज में निम्न विवरणानुसार किया गया ।

कर्मचारी का नाम व पद	जिस अवधि के दौरान ड्यिुटी दी गई	जिस दर से भुगतान किया गया ।	राशि
श्री फकीर चन्द जूनियर लैब अटैन्डेन्ट ।	11.12.93 से 20.12.93 (10 दिन)	@15/=	150/=
श्री टिक्का राम, दफ्तरी	" "	@10/=	100/=
			250.00

लगातार पृष्ठ 27 पर.........

— 283 —

लेकिन जांचने पर पाया गया कि 11.12.93 से 20.12.93 के मध्य 12.12.93 तथा 19.12.93 को रविवार का अवकाश था तथा गल्ती से उपरोक्त कर्मचारियों को 8 दिन की बजाए 10 दिन की डियूटी का भुगतान किया गया था। अतः उपरोक्त कर्मचारियों को अवकाश के दो दिनों का किया भुगतान मु0 30/=रुपये तथा 20/=रुपये क्रमशः (कुल 50/-रुपये) बनता है जिसकी वसूली सम्बन्धित व्यक्तियों से करके छात्र निधि में जमा की जाए इसका अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण के समय दिखाया जाए।

ख) रोकड़ वही हाऊस परीक्षा फण्ड

1.) रोकड़ वही के पृष्ठ -105 पर की गई प्रविष्टी के अनुसार मु0 400/=रुपये की राशि मिश्रित निधि में से वतौर ऋण ली गई थी परन्तु इसे अभी वापिस नहीं किया गया था जोकि आपतिजनक बात है। इस राशि को शीघ्र सम्बन्धित फण्ड को हस्तान्तरित किया जाए।

2) दिनांक 31.3.92 को रोकड़ वही में अन्तशेष 43636.85 रुपये था जबकि 1.4.92 को ओपनिंग बैलेंस मु0 43706.80 पैसे दर्शाया गया है। इस प्रकार 1.4.92 को आय में 69.95रुपये अधिक दिखाए गए है जिसे अब रोकड़ वही में ठीक किया जाए।

15. अनुपस्थिति दण्ड फण्ड

डी0एण्ड सी रजिस्टर के अनुसार निम्नलिखित विद्यार्थियों से अनुपस्थिति दण्ड की राशि निम्न विवरणानुसार वसूल की गई थी परन्तु इस रोकड़ वही की आय में 8/=रुपये कम दर्शाया गया जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके अव आय में लिया जाए तथा अनुवर्तन आगामी अंकेक्षण पर दिखाए।

विद्यार्थी का नाम	रसीद सं0तथा तिथि	कक्षा	रोल नं0	वसूल की गई राशि	रोकड़ वही आमदन में दर्शाई गई राशि	रोकड़ में कम दर्शाई गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
संगीता	148293 दिनांक20 3/94	बी.ए.-I	2093	7.50	1.50	6.00
रणजीत	64361 दि023.3.94	बी.ए.-II	1320	4.50	2.50	2.00
					रोकड़ वही में कम दर्शाई गइ राशि	8.00

लगातार पृष्ठ 28 पर.....

284

एन.सी.सी. फण्ड

1. वाऊचर संख्या शून्य दिनांक 24.3.93 राशि 1255/=रुपये
2. वाऊचर संख्या 10 दिनांक 31.3.94 राशि 251/=रुपये

क) निम्नलिखित विद्यार्थियों को वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान स्वतंत्रता दिवस की परेड में भाग लेने पर मु0 251/-रुपये प्रति विद्यार्थी बतौर इनाम अदा किए गए । परन्तु इस निधि में से व्यय की गई यह राशि एन.सी.सी. फण्ड पर वैध प्रभार नहीं है । इनाम इत्यादि बांटने का व्यय भविष्य में अनुपस्थिति दण्ड फण्ड में से करें । तथा इस फण्ड में से अनियमित तौर पर की गई मु0 1506/=रुपये की कुल राशि की पूर्ति उचित स्त्रोत से करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

16. रैड क्रास फन्ड

वाउचर संख्या 2 दिनांक 22.7.91 राशि 640/=रुपये
वाउचर संख्या 3 दिनांक 26.10.91 राशि 88/=रुपये

क) मु0 728/-रुपये का भुगतान कालेज कैम्पस की सफाई करवाने के लिए निम्न विवरणानुसार किया गया ।

मजदूर का नाम	अवधि	जिस दर से भुगतान किया ।	राशि
राम सिंह	17.10.91 व 18.10.91	22/=रू0 प्रतिदिन	44.00
हरि सिंह	यथोपरि--	"	44.00
विनोद कुमार	5.7.91से 18.7.91	20/=रू0 प्रतिदिन	280.00
रमेश	यथोपरि-	20/=रू0 प्रतिदिन	280.00
रजिन्द्र	5.7.91.से 8.7.91	यथोपरि-	80.00
			728.00

परन्तु जांचने पर यह पाया गया, कि महाविद्यालय में पहले से ही दो सफाई कर्मचारियों के पद इसी कार्य हेतु स्वीकृत है । इसलिए उपरोक्त मद पर किए गए व्यय को न्यायसंगत सिद्ध किया जाए तथा इस व्यय की पूर्ति कंटीजैंसी में से की जाए अन्यथा इसे निदेशक शिक्षा ,हिमाचल प्रदेश ~~हिमाचल प्रदेश~~ की मंजूरी से नियमित किया जाए ।

ख) वाउचर संख्या2दिनांक 24.6.92 राशि 500/=रुपये
वाउचर संख्या 4 दिनांक 6.8.92 राशि 3360/=रुपये

मु0 3860/=रुपये की राशि कालेज फर्नीचर की मुरम्मत पृष्ठ 29 पर...

— 285 —

पर व्यय की गई जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है । यह व्यय इस फण्ड पर अवैध प्रभार है । इस राशि को शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश की स्वीकृति से नियमित किया जाए अन्यथा कंटिजेन्सी में से फण्ड में जमा करवाया जाए।

क्रसं0	बढ़ई का नाम	अवधि	भुगतान की दर	राशि
1.	मस्तराम	5.6.92से 19.7.92	@42.40	1908.00
2.	विजय कुमार	यथोपरि	@42.40	1908.00
3.	राजू मजदूर	19.6.92 से 20.6.92	@22/=	44.00
				3860.00

इसके अलावा क्रम संख्या 3 पर राजू की दो दिन का 22/=रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान किया गया परन्तु अंकेक्षण के दौरान इस भुगतान का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया । अतः इस राशि की वसूली दोषी व्यक्ति से करके रैडक्रास फण्ड में जमा की जाए ।

ग) वाउचर संख्या 5 दिनांक 4.11.92 राशि 167.30 रुपये

मैं अनिल जनरल स्टोर, सोलन से विल संख्या 4696 दिनांक 3.10.92 को निम्न सामान की खरीद पर मु0 167.30रुपये की राशि का अनुचित व्यय किया गया जोकि रैडक्रास फण्ड पर अवैध प्र प्रभार है । इस राशि की पूर्ति उचित स्त्रोत से की जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित कराया जाए ।

क्रमसं0	मद का नाम	कीमत
1.	2 बोतल फिनाइल	32.00
2.	10 किलो ग्राम चूना	45.00
3.	1 किलो ग्रांम सर्फ	11.30
4.	1 किलो ग्रांम नैपथालीन वाल्स	60.00
5.	4 लाईफबाय साबुन	19.00
		167.30

घ) वाउचर संख्या 2 दिनांक 10.9.93 राशि 3420/=रुपये

श्री मस्त राम और मंगत राम बढ़ई को दिनांक 22.6.93 से 25.7.93 तथा 6.9.93 से 9.9.93 तक मस्ट्रोल पर रखा गया ।

लगातार पृष्ठ 30 पर........

— 286 —

ने 38- 38 दिन कार्य किया और दिहाड़ी प्रतिदिन 45/=रुपये के अनुसार 1710/=रुपये भगत राम और 1710/=रुपये भगत राम बढ़ई को अदा किए गए ।

इस अदायगी पर निम्नलिखित टिप्पणियां आपेक्षित है ।

फर्नीचर की मुरम्मत पर कियागया व्यय रैडक्रास निधि पर उचित प्रभार नहीं है । इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस राशि की पूर्ति उचित अन्यगत स्त्रोत में से की जाए तथा अनुपालना/आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

ङ.) वाउचर संख्या 4 दिनांक 10.9.93 राशि 215/20रुपये

मु0 215/20रुपये की राशि दवाईयों के क्रय पर रैडक्रास निधि में से व्यय की गई । इन दवाईयों का इन्द्राज कन्जुयूमेबल स्टाक रजिस्टर की पृष्ठ -102 पर किया गया था परन्तु जांच पड़ताल के समय यह पाया गया कि इन दवाईयों को स्टाक रजिस्टर में निर्गत नहीं दिखाया गया था । इस प्रकार उपरोक्त राशि को व्यर्थ व्यय किया गया । इसके अतिरिक्त रैडक्रास में से किए गए इस व्यय को न्यायसंगत सिद्ध किया जाए क्योंकि इस प्रकार का व्यय चिकित्सा फण्ड में से किया जाना अनिवार्य था । अत: अनियमित रूप से खर्च की गई राशि की पूर्ति उचित निधि में से करके आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

17. अमलगामेटिड फण्ड

क) वाउचर संख्या 65 दिनांक 22.10.92 मु0 200/=रुपये

दिनांक 20.10.92 को महाविद्यालय को एस.सी.ए. की मीटींग में मु0 300/=रुपये चाय पान पर व्यय किए गए जिसका ब्यौरा दर्शाया गया है उपरोक्त राशि का भुगतान भाटिया रैस्टोरैन्ट, सोलन को कैश मैमों संख्या 32829 दिनांक 20.10.92 द्वारा किया गया ।

क्रमांक	चाय पानी के लिए क्रय की गई वस्तु का नाम ।	मूल्य रु0
1.	4 किलो ग्राम जामुन	160/=रुपये
2.	2 किलो ग्राम बर्फी	140/=
		300.00

लगातार पृष्ठ 31 पर.......

— 237 —

इस व्यय पर निम्नलिखित टिप्पणियां आपेक्षित है ।

1. एस.सी.ए. की मीटिंग में कितने सदस्यों ने भाग लिया इसका कोई ब्यौरा एवम मीटिंग पंजिका अंकेक्षण के समय प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

2. दिनांक 20.10.92 को उपरोक्त मद पर व्यय की गई 300/=रुपये की राशि में वाउचर संख्या 65 दिनांक 22.10.92 को श्री आर.के.कालिया को दी गई मु0 200/=रुपये की अग्रिम राशि का समायोजनभी किया गया है श्री आर.के. कालिया को मु0 200/=रुपये का अग्रिम देने का औचित्य स्पस्ट किया जाए । क्योंकि दिनांक 20.10.92 को की गई अदायगी में दिनांक 22.10.92 को दिए मु0 200/=रुपये के अग्रिम का समायोजन कैसे हो सकता था ।

ख) <u>वाउचर संख्या 62 दिनांक 20.10.92 राशि 200/=रुपये</u>

श्री ए.आर.शर्मा ,लैब अटैन्डैंट को वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान एस.सी.ए. चुनावों में सहायता के एवज में 100/=प्रतिवर्ष की दर से मु0 200/=रुपये की राशि का भुगतान किया गया । यह स्पष्ट किया जाए कि यह उक्त निधि से किस प्रकार वैध प्रभार है अन्यथा इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए ।

ग) <u>वाउचर संख्या 38 दिनांक 8.9.92. राशि 1642/=रुपये</u>

दिनांक 3.9.92 को महाविद्यालय के एस.सी.ए. के चुनावों के उपलक्ष्य में लंच(दिन का भोजन) तथा चायपान का आयोजन किया गया जिस पर मु0 1642/=रुपये की राशि का व्यय कियागया जिसका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है ।

बिस्कुट	111.00रुपये	कुमार वेकर्स , सोलन
100 लंच	1346.00रुपये	मोहिन्द्र जी, सोलन
चाय	180.00रुपये	श्री जीया लाल,कन्टीन वाला,
	1637.00	

इस अदायगी पर निम्न टिप्पणियां आपेक्षित है

1) एस.सी.ए. के चुनावों पर मु0 1642/=रुपये का व्यय दिखाया जबकि उपरोक्त के अनुसार कुल व्यय 1637/=रुपये था इस प्रकार 5/=रुपये का अधिक व्यय दिखाया गया जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके फण्ड में जमा करवाएं ।

लगातार पृष्ठ 32 पर......

— 288 —

2) इसमें लगभग 100 स्टाफ मैम्बर तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया दिखाया गया इस प्रकार प्रति व्यक्ति 16/=रुपये की राशि चायपान पर व्यय की गई जबकि रैफरेशमैंट का रेट 3.00 रुपये प्रति व्यक्ति था अधिक व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए अधिक व्यय की राशि को फण्ड में जमा करवाया जाए अथवा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए । इस प्रकार के अवसरों पर स्टाफ मैम्बरस के लिए लंच का आयोजन करने का नियमों के अनुसार औचित्य भी स्पष्ट किया जाए ।

घ) वाउचर संख्या 42/92 दिनांक 24.9.92 राशि 200/=रुपये

श्री मति शशि सहगल, लक्चरर को सांईस Quiz के आयोजन में इनाम आवंटित करने के उद्देश्य से मु0 200/=रुपये की अग्रिम राशि 24.9.92 को प्रदान की गई थी परन्तु इस राशि के व्यय सम्बन्धी वउचर अंकेक्षण को समय प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे यह प्रतीत होता है कि यह अभी तक असमायोजित पड़ी थी । इसका शीघ्र समायोजन करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाए ।

ङ.) वाउचर संख्या 46 दिनांक 29.9.92 राशि 351/=रुपये

दिनांक 29.9.92 को एस.सी.ए. की मिटींग में चाय पान पर मु0 351/=रुपये का व्यय किया गया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है ।

क्र0 सं0	जिस मद पर व्यय किया गया	विक्रेता का नाम	कैश मैमो सं0 तथा दि0	राशि
1.	समोसा एण्ड जामुन	प्रेमजी फास्ट फूड ।	78876दि030.9.92	101.00
2.	पेस्ट्री	कुमार वेकर्स	21050दि0 9.9.92	210.00
3.	40 कप चाय	चाची की कन्टीन	शून्य	40.00
				351.00

चूंकि उक्त एस.सी.ए. मीटींग का आयेजन दिनांक 29.9.92 को हुआ था इसलिए क्रम संख्या 1 के सामने दिनांक 30.9.92 को समोसा तथा जामुन पर किए अनुचित व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली दोषी के व्यक्ति से करके आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

च) वाउचर संख्या 164 दिनांक 24.3.92 राशि 996.00रुपये

वाउचर संख्या 57 दिनांक 16.10.92 राशि 237.00रुपये

मैo क्का ट्रेडरज को खेल के सामान की आपूर्ति करने के लिए मु0 996/=रु0

लगातार पृष्ठ 33 पर........

289.

तथा मु0 237/=रुपये की राशि का भुगतान क्रमशः बिल संख्या 2405 दिनांक 7.9.91 तथा बिल संख्या 2668 दिनांक 14.10.92 द्वारा किया गया । जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

क्र0सं0	क्रय किया गया खेलका सामान	संख्या	बिल नं0	राशि
1.	बैडमिंटन नैट 31.25रू0 की दर से	4	2405 दि0 7.9.91	125.00
2.	वालीबाल कवर@73/=रू0	5	"	365.00
3.	वालीबाल नैट @63.75 रु	1	"	63.75
4.	हाकी स्टिक(चैम्पाईस)@80.70 रु	5	"	403.50
				957.25
			सैल्स टेक्स4%	38.29
				995.54
5.	नी कैप@9/=रू	1 दर्जन	2668दि0 14.10.92	108.00
6.	टी.टी.बाल@5/=रू	2 दर्जन	"	120.00
				228.00
			सैल्स टैक्स 4%	9.12
				237.12

इस अदायगी में निम्न टिप्पणियां आपेक्षित है :-

1) उपरोक्त खेल वस्तुओं की खरीद नियन्त्रक भंडार द्वारा अनुमोदित दर व संविदा के आधार पर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा " अनापत्ति प्रमाण पत्र " प्राप्त कर अनियमित रूप से किए गए व्यय को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

2. क्रम संख्या 5 तथा 6 पर दर्शाई गई वस्तुओं की स्टाक प्रविष्टि खेल वस्तुओं के स्टाक रजिस्टर में नहीं की गई थी ।

छ) वाउचर संख्या 128 दिनांक 3/94 राशि 600/=रुपये

श्री फकीर चन्द, कनिष्ठ प्राध्यापक सहायक को वर्ष 1993-94 के दौरान विद्यार्थियों से लिए जाने वाले अनुपस्थिति दंड शुल्क की गणना का कार्य करने हेतु मु0 600/= रुपये की राशि का भुगतान किया गया । इस कार्य के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक की अदायगी मिश्रित निधि पर अवैध

लगातार पृष्ठ 34 पर......

-220-

प्रभार है क्योंकि यह कार्य महाविद्यालय के लिए स्वीकृत अन्य सरकारी कर्मचारी से बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक के करवाया जा सकता था । अतः इस अनुचित अदायगी की वसूली दोषी व्यक्ति से करके मिश्रित निधि में जमा करवाएं तथा इस आशय की सूचना इस विभाग को भी प्रेषित की जाए । यदि इस प्रकार की अदायगियां अन्य वर्षों के दौरान भी की गई हो तो उनका ब्यौरा एकत्रित करके वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

ज) वाउचर संख्या 127 दिनांक 7.3.94 राशि 400/=रुपये

मु0 400/=रुपये मैं प्रमोद जनरल स्टोर को बाबत सपलाई 10 टी शर्ट तथा 10 जोड़े केलों की जुराब के बिल संख्या 0552। दिनांक 7.3.94 के अन्तर्गत अदा किए दर्शाए गए है जबकि यह बिल प्रधानाचार्य महाविद्यालय (सांध्यकालीन) के नाम जारी किया गया था । अतः इस व्यय की पूर्ति उचित स्त्रोत से करके राशि प्रातःकालीन महाविद्यालय के अमलगामेटिड फंड में जमा करवाई जाए तथा इसकी अनुपालना अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

झ) वाउचर संख्या 56 माह 10/92 राशि 80/=रुपये

श्री सुन्दर राम ,लैब अटेन्डैंट को महाविद्यालय में बेकार पड़े कम्प्युटर के रख रखाव के लिए अतिरिक्त कार्य करने के लिए 40/=रुपये प्रतिमाह की दर से माह अगस्त व सितम्बर ,92 के पारिश्रमिक की अदायगी 80/=रुपये की गई दर्शाई गई है चर्चा के दौरान यह बताया गया कि महाविद्यालय में कम्प्युटर निरर्थक पड़ा है जिसे काफी समय से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है । इस स्थिति के दृष्टिगत मु0 40/=रुपये प्रतिमाह की दर से किया जा रहे भुगतान द्वारा इस फण्ड पर व्यर्थ का बोझ पड़ रहा है इसे तुरन्त बंद किया जाए तथा अतीत में की गई ऐसी अदायगियों का औचित्य सिद्ध किया जाए ।

(ञ) वाउचर संख्या 122 दिनांक 7.3.94 राशि 14250/=रुपये

महाविद्यालय में वर्ष 1990-91 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त 125000/=रुपये की राशि से एक कम्प्युटर खरीदा गया था । लेकिन कालेज में कम्प्युटर की जानकारी रखने वाला न तो कोई प्रशिक्षित कर्मचारी है और न ही किसी कम्प्युटर कक्षा का आयोजन ही महा विद्यालय परिसर में किया जाता है । परन्तु इसके बावजूद महाविद्यालय द्वारा कम्प्युटर के वार्षिक Maintenance Contract जोकि 1.4.94 से 31.3.95 की एक वर्ष की अवधि

लगातार पृष्ठ 35 पर.........

-291-

के लिए किया गया था , मै0 HCL- Hewlett Packard limited चंडीगढ़ को मु0 14250/=रुपये की राशि का भुगतान किया गया जोकि इस निधि पर अवैध प्रभार है । चूंकि कम्प्यूटर का क्रय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त राशि से किया गया था इसलिए Maintenance Contract पर व्यय होने वाली राशि का वहन भी उसी स्त्रोत में से किया जाना वांछनीय था । मिश्रित निधि में से की गई उपरोक्त अदायगी की पूर्ति उचित फण्ड में से की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए । कालेज प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में कम्प्यूटर सम्बन्धी समस्त व्यय का वहन U.G.C. से प्राप्त अनुदान राशि में से किया जाना सुनिश्चित करें । यदि उनकी शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान हो अन्यथा शिक्षा विभाग से इस सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देश प्राप्त करें ।

ट) <u>वाउचर संख्या 130 दिनांक 28.3.94 राशि 3360/=रुपये</u>

मु0 3360/=रुपये मै0 प्रिंस एडवाईजर ,सोलन को जोग्राफी के प्रैक्टीकल मेजों पर सनमाईका टॉप लगाने के एवज अदा किए गए ।

इस व्यय पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपत्तियां उठाई गई ।

1) तीन निविदाएं जिन पे 7.12.93 की तिथि अंकित की औपचारिकता मात्र रिकार्ड में उपलब्ध करवाई गई थीं ।

1. प्रिंस एडवर्टाइजर,सोलन
2. मंगल डिपार्टमैंटल स्टोर , सोलन
3. वी.के.एंटरप्राइजज, सोलन

2. उक्त वाउचर के साथ संलग्न पत्राचार के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 13.12.93 को पारित आदेशानुसार निविदा नए सिरे से आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन उन आदेशों की अनदेखी करके उपरोक्त कार्य प्रिंस एडवर्टाइजर ,सोलन से पूर्व आमन्त्रित भाव के आधार पर करवाने की कार्यवाही का औचित्य सिद्ध किया जाए ।

3. इस कार्य का निष्पादन करने से पूर्व तकनीकी तौर पर अनुमान पत्र तैयार करना वांछनीय था जिसे तैयार न करने का पूर्ण औचित्य आगामी अंकेक्षण पर स्पष्ट किया जाए ।

ठ) <u>रोकड़ बही असमायोजित फण्ड</u>

दिनांक 31.3.94 को रोकड़ बही का बकाया, 2,30,230.15रुपये

लगातार पृष्ठ 36 पर.......

- 292 -

था जबकि बैंक पास बुक खाता सं0 9 के अनुसार बकाया राशि 248673.95रु0 थी । अत: मु0 18443.80 रुपये के अन्तर का मिलान करके इसे समायोजित किया जाए । रोकड़ वही का बैंक पासबुक के बकाया से मासिक समायोजन कभी भी नहीं कियागया था जोकि नियम के विरुद्ध है । रोकड़ वही का बैंक पासबुक के बकाया से मासिक मिलान करना अतिआवश्यक है । परन्तु 4/91 से 3/94 तक यह कार्य नहीं किया गया प्रतीत होता है यहां तक कि महाविद्यालय के बड़्सर ,जिन्हें रोकड़ वही की जांच के लिए 150/=रुपये प्रतिमास का पारिश्रमिक दिया जाता है , भी रोकड़ वही की जांच पड़ताल सुचारु रूप से नहीं करते इसलिए उन्हें विशेष रूप से इस कार्य हेतु स्वीकृत उपरोक्त माहवार अदायगी का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस कार्य की ओर विशेष रुचि दिखाई जाए ताकि भविष्य में त्रुटियों का सुधार समय रहते किया जा सके ।

18. <u>सांईस फण्ड</u>

<u>रोकड़ वही सांईस फण्ड</u>

क) दिनांक 1.10.93 को ओपनिंग बैलेंस गल्ती से 34222.85 रुपये के स्थान पर 34222.35 रुपये दर्शाया गया था । अत: 0.50 पैसे के अन्तर को आय में लेकर त्रुटि का सुधार किया जाए ।

ख) दिनांक 31.3.94 को रोकड़ वही का बकाया 39506.75 रुपये था जबकि बैंक पासबुक खाता संख्या 658 के अनुसार बकाया राशि 39486.85 रुपये थी । अत: मु0 19.90रुपये के अन्तर को शीघ्र समायोजित किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाएँ ।

19. <u>होस्टल खाते</u>

<u>होस्टल मैन्टिनैन्स ,विद्युत , पानी,कामन रूम तथा मैडिकल फण्ड</u>

क) <u>वाउचर संख्या 48 दिनांक 1.6.92 राशि 300/=रुपये</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लड़कियों के होस्टल में स्थापित दूरभाष संख्या 3828 का अवधि 1.6.92 से 31.7.92 तक का दूरभाष किराया मु0 300/=रुपये दूरसंचार विभाग द्वारा चार्ज किया गया था जबकि वास्तव में उपरोक्त अवधि का किराया मु0 200/=रुपये चार्ज किया जाना था इस प्रकार 100/=रुपये की अधिक अदायगी का रिफंड सम्बन्धित विभाग से लेकर उपरोक्त फण्ड में जमा करवाएं तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाएं ।

लगातार पृष्ठ 37 पर.......

ख) वाउचर संख्या 44 दिनांक 22.3.94 राशि 272/=रुपये

मु0 272/=रुपये की राशि दूरभाष संख्या 3828 अवधि 26.10.93 से 25.12.93 तक का बिल का भुगतान दूरसंचार विभाग,सोलन को किया गया था । जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

दूरभाष किराया दो माह का	-	200.00रुपये
निजी ट्रंक कालों का बिल	-	72.00
		272.00रुपये

परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया था कि निजी ट्रंक कालों की अदायगी भी होस्टल फण्ड में से की गई थी जबकि यह वसूली, निजी ट्रंककाल कर्ता से करके की जानी अपेक्षित थी । अतः इस प्रकार मु0 72/=रुपये की अनुचित अदायगी होस्टल में से की गई जिसकी वसूली दोषी व्यक्तियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

ग) वाउचर संख्या 30 दिनांक 7.12.91 राशि 461.50रुपये
वाउचर संख्या 37 दिनांक 23.1.92 राशि 186.30रुपये
वाउचर संख्या 46 दिनांक 5.5.92 राशि 62.00रुपये
वाउचर संख्या 20 दिनांक 3.9.92 राशि 102.00रुपये
वाउचर संख्या 24 दिनांक 6.10.92 राशि 107.00रुपये

उपर लिखित अदायगियां मै0 मंगत राम एण्ड सन्ज, सोलन को न्युजपेपर की सप्लाई करने के लिए की गई । परन्तु जो न्युज पेपर होस्टल में प्राप्त किए गए उसकी, न तो कोई प्रतिदिन प्राप्ती का रजिस्टर रखा गया और न हीं प्राप्त न्युजपेपर की रद्दी को निर्गत दिखाया गया, । भविष्य में न्यूजपेपर की प्रतिदिन हाजिरी लगाई जाए तथा नियमोनुसार इसकी रद्दी को वेचा जाए । इस संवन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके अगले अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

घ) रोकड़ वही होस्टल मैनेटैनेंस, विद्युत,जल , कामन रूम तथा चिकित्सा फंड ।

उपरोक्त निधि का बैंक खाता संख्या 302 के अवलोकन से पता चला कि बैंक पास बुक में दिनांक 25.9.93 तथा 5.3.94 के क्रमशः मु0 2738रुपये व 2116/=रुपये का ब्याज लगाया गया था लेकिन अभी तक उक्त ब्याज की राशि को रोकड़ वही की आय में नहीं लिया गया था जोकि गैरजिम्मेदाराना

लगातार पृष्ठ 38 पर.....

तथा आपत्तिजनक है। इस ब्याज की राशि को शीघ्र आय में लिया जाए तथा इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाएं ।

20. हॉस्टल बर्तन फण्ड

इस फण्ड की बैंक पास बुक खाता संख्या 652 में निम्न तिथियों को उनके सामने दर्शाई गई राशि ब्याज के रूप में लगाई गई थी परन्तु इसे अवधि की समाप्ति तक रोकड़ वही की आय में नहीं लिया गया था । जिसे शीघ्र रोकड़ वही की आय में लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाएं

दिनांक	ब्याज की राशि का ब्यौरा
25.9.93	610.00
5.3.94	564.00
	1174.00

21. हॉस्टल सरवेंट अकांउट

इसी प्रकार हॉस्टल सरवेंट अकांउट की बैंक पास बुक सं0 663 में निम्न तिथियों को उनके सामने दर्शाई गई ब्याज की राशियां क्रेडिट की गई थी परन्तु उन्हें अभी तक इस अकाउंट की रोकड़ वही की आय में नहीं लिया गया था । इसे शीघ्र आय में लिया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए बैंक पास बुक का रोकड़ वही से मासिक समायोजन किया जाए

दिनांक	ब्याज की राशि का ब्यौरा
25. 9.93	872/=रुपये
5.3.94	866/=रुपये
	1738/=रुपये

भाग= 3

22. छात्र सहायता निधि :- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान की प्राप्ति बारे:-

हिमाचल प्रदेश शिक्षासंहिता -1985 के पृष्ठ -75 पर अंकित निर्णय के अनुसार छात्र सहायता निधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महा-विद्यालय के छात्रों की संख्या के अनुपात में निश्चित राशि अनुदान के रूप में कालेज को उपलब्ध करवाता है जिसका उपयोग निर्धन छात्रों को वित्तीय

लगातार पृष्ठ 39 पर.......

... पृष्ठ 40 पर.....

सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है । परन्तु 31.3.94 तक महाविद्यालय को कोई भी अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है । उपरोक्त निर्णय के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान महाविद्यालय को छात्र सहायता निधि के लिए रू0 2000/=प्रतिवर्ष की दर से रू0 6000/= रूपये की कुल राशि प्राप्त होनी चाहिए थी ।अतः प्रधानाचार्य ,महाविद्यालय सोलन से अनुरोध है कि उक्त राशि की प्राप्ति के लिए विशेष पग उठाऐं तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत कराऐं तथा इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के समय कराएं ।

इसके साथ-2 महाविद्यालय द्वारा किसी पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान छात्र सहायता निधि अन्तर्गत एकत्रित राशि अथवा रू0 1000/=रूपये की सीमा तक का आयोग द्वारा समय-2 पर निश्चित राशि के बराबर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कोई रूचि नहीं दिखाई गई जोकि खेद जनक बात है प्रधानाचार्य को परामर्श दिया जाता है कि उक्त प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने हेतु अपने तत्वाधान में विशेष पग उठाएं ताकि कालेज के संसाधनों और वृद्धि हो सके ।

23. लघु आपत्तियों की विवरणीका

लघु आपत्तियों की विवरणीका अलग से जारी नही की गई है तथा समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर दिया गया है ।

24. निष्कर्ष

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों व इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित आपत्तियों का निष्पादन करने हेतु शीघ्र उचित कार्यवाही की जाए ।

हस्ता/-
उप-निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृष्ठांकन संख्या: फिन {एल०ए०} सी{15}11{4}33/78,खण्ड-4 दिनांक, शिमला-2 05.JUN.1996
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

पंजीकृत: 1{ प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सोलन तहसील सोलन

लगातार पृष्ठ 40 पर....

जिला सोलन0 (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का अनुपालन उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2) निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचलप्रदेश, शिमला-171001.

3) वित्तायुक्त एवम (सचिव) शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2.

4) श्री रविभूषण सूद, सहायक नियन्त्रक, द्वारा ....

उप-निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

अंकेक्षण पत्र अवधि 4/91 से 3/94 तक के पैरा संख्या
4(ख) में वर्णित परिशिष्ट 'क'

STATEMENT OF FDRs AS ON 31-3-94 IN R/O G.P.G.C. SOLAN

No.	Name of Bank	Name of fund	F.D.R. No. & date	Amount	Duration	Date of maturity
	S.B.O.P.(Extention Counter, G.C.Solan)	Amalgamated Fund	S TDR/2 171499	300000.00	1 Year	20-7-94
	do	do	STDR/2 171500	500000.00	do	29.7.94
	do	Building Fund	STDR/3 106307	125000.00	do	8-8-94
	do	Medical Fund	STDR/3 106308	50000.00	do	8-8-94
	do	Library security	STDR/3 106306	100000.00	do	8-8-94

Interest accrued on maturity :- 1 Rs34380.00
2 Rs57300.00
3 Rs14325.00
4 Rs 5730.00
5 Rs11460.00

Principal
Govt. College,
Solan